FDA DIRECTED ONE MONTH TIME PERIOD FOR RENEWAL OF PFA LICENCES

ख्या–581 /अट्ठासी--10–34खा/10

प्रेषक,

कै0 एस0के0 द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उ0 प्र0।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन अनुभाग   लखनऊ :: दिनांक 5 अप्रैल, 2010

विषय–खाद्य पदार्थों या कोई विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ या उसके किसी वर्ग में खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने, संग्रह करने, बेचने और उसका वितरण करने के लिए विहित लाईसेन्सिंग प्राधिकारी के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1976 के नियम–4 के उपनियम (1) (बी) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में समस्त उप मुख्य चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य को उनकी अधिकारिता के भीतर आने वाले ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में लाईसेन्स निर्गत करने के निमित्त 'लाईसेन्सिंग प्राधिकारी' नियत किया गया है।

2. भिज्ञ हैं कि नव गठित खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का मण्डल स्तर पर संगठनात्मक ढॉचा मण्डलायुक्त तथा जनपद स्तर पर संगठनात्मक ढॉचा जिलाधिकारी के सीधे प्रशासकीय नियंत्रणाधीन गठित किया गया है। उपरोक्त विषय की ओर आपक ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि नव गठित खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा शासन स्तर पर नये सिरे से लाईसेन्सिंग प्राधिकारी नियत /प्राधिकृत करने की प्रकिया गतिमान है एवं इसमें निर्णय लिये जाने में कुछ समय लगने की सम्भावना है। वर्णित स्थिति में पूर्व में दिये गये लाईसेन्स के नवीनीकरण किये जाने की अवधि 01 अप्रैल, 2010 से एक माह (दिनांक 30.4.2010) तक के लिए बढ़ाई जाती है। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में निर्गत लाईसेन्सों का नवीनीकरण या नवीन लाईसेन्स का निर्गमन पूर्व में विहित किये गये सम्बन्धित उपमुख्य चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य द्वारा उक्त अवधि में कदापि नहीं किया जायेगा।

3. कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कै0 एस0के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव।